न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जसवंतपुरा जिला जालोर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती पुष्पाकंवर सिसोदिया आर.ए.एस.
राजस्व अपील संख्या – 3/2019

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेंट्स
1. शान्ता देवी पुत्री जेसीया पत्नी प्रेमाजी जाति सरगरा निवासी चेकला हाल बिकणवास तहसील जसवंतपुरा जिला–जालोर 2. हिरादेवी पुत्री जेसीया पत्नी पाताजी जाति सरगरा निवासी चेकला हाल मालवाडा तहसील रानीवाडा जिला–जालोर		1. हिरका पुत्र हरिया जाति सरगरा निवासी चेकला तहसील जसवंतपुरा जिला–जालोर 2. सरपंच, ग्राम पंचायत राजीकावास, तहसील जसवंतपुरा जिला–जालोर 3. तहसीलदार जसवंतपुरा

अपील विरूद्ध म्यूटेशन नम्बर 148 विरूद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत राजीकावास

निर्णय

दिनांक :–25.10.2019

अपीलांट द्वारा उक्त अपील अपील विरूद्ध म्यूटेशन नम्बर 148 विरूद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत राजीकावास पेश की गई जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि सरहद मौजा चेकला में कृषि आराजी जिसके पुराने खसरा नं. 252, 253, 252मी (वर्तमान खसरा नं. 77, 78, 79) रकबा 2.02 है0 जिसके खातेदार तारीया पुत्र रता 1/6, उकीया, लुबा, मगा पिसरान धीरा 1/6, मुस्मात पुरखी बेवा रावता 1/6, जेसिया, हरिया पिसरान थाना 1/6, हकुआ, गणेशा, केवला पिसरान मोती 1/6 व केसीया पुत्र माला 1/6 थे। जेसिया की मृत्यु के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा विरासत नामान्तरकरण में जेसीया के दो पुत्रियां, शांता व हीरा के जीवित होते हुए भी रेकर्ड में जेसीया को लाऔलाद फौत बताते हुए उसके सगे भाई हरिया के नाम नामान्तरकरण भरा गया। ग्राम पंचायत राजीकावास का उक्त नामांतरकरण सं. 148 दिनांक 15.12.1972 विधि विरूद्ध, रेकर्ड व हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से काबिले खारिज है। हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार एक हिंदु मृतक की संपति उनके प्रथम श्रेणी के वारिसानों का मिलेगी तथा उत्तराधिकार अधिनियम की धारा (10) के नियम 2 के अनुसार स्व0 जेसा पुत्र थाना के उत्तराधिकार क्रमशः शांतादेवी व हीरादेवी जीवित होते हुए भी स्व. जैसा के उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज किया जाना था। अपीलाधिन म्यूटेशन में हिंदु उतराधिकार अधिनियम के कानून के विपरित म्यूटेशन होने से उक्त म्यूटेशन काबिले खारिज है। अपीलांट स्व. जेसा पुत्र थाना की जायंदा पुत्री होने के कारण व आराजी पर संयुक्त कब्जाकाश्त होने के कारण उसे उक्त अवैध म्यूटेशन का पता नहीं चल सका। अभी अपीलांट को रेस्पोडेंटस् द्वारा यह कहने पर इस इस जमीन पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, तब अपीलांटस् ने पता लगाकर नकलें हेतू दिनांक 25.10.2017 को तहसील कार्यालय जसवंतपुरा से अपने अधिवक्ता के मार्फत नकलें प्राप्त की । जिससे म्यूटेशन से संबंधित कार्यवाही की जानकारी अपीलांट को प्राप्त हुई, अ तः अपील जानकारी से अंदर म्याद प्रस्तुत है। अतः मौजा चेकला के म्यूटेशन से. 148 दिनांक 15.12.2017 को निरस्त कर स्वर्गीय जेसा पुत्र थाना के उत्तराधिकारीयों के नाम दर्ज करवाने के आदेश करावें।

उपखण्ड अधिकारी जसवन्तपुरा
जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेन्ट नं. 1, 2, 3 बावजूद ईत्तला के गैर हाजिर रहे, अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने अपीलांटस् अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सूनी। बहस पर मनन किया व प्रकरण का अवलोकन किया गया। अपीलांट्स द्वारा नामान्तरकरण संख्या 148 जो सरपंच ग्राम पंचायत राजीकावास द्वारा पारित किया गया,उसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। नामान्तरकरण अनुसार मौजा चेकला के गत आराजी खसरा नम्बर 252, 253, 252मी(वर्तमान खसरा नं. 77, 78, 79) का नामान्तरकरण जेसा पुत्र थाना के फोत होने पर उनके भाई हरिया के नाम नामान्तरकरण खोला जाकर हरिया का इन्द्राज किया गया । उक्त नामान्तरकरण पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 15.12.1972 को खोला गया जिसकी निरीक्षक भू अभिलेख जसवंतपुरा द्वारा जांच की गई जिसे सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया है। उक्त नामान्तरकरण वर्ष 1972 में स्वीकृत हुआ है एवं अपीलांट्स द्वारा उक्त नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध उक्त अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 14.11.2017 को प्रस्तुत की गई साथ ही अपीलांट्स द्वारा अपने मर्यादा अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपील देरी से प्रस्तुत किये जाने के संबध मे स्पष्ट कारण व्यक्त किये है एवं इस संबध मे दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया गया है, जिससे अपीलांट्स की अपील अंदर म्याद शुमार की जा सके। अतः अपीलांट्स की अपील अंदर म्याद होने से स्वीकार की जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

परिणामस्वरूप अपीलांट्स की अपील म्याद अंदर प्रस्तुत होने से स्वीकार की जाती है तथा नामांतरकरण सं. 148 दिनांक 15.12.1972 खारिज किया जाता है। उक्त नामांतरकरण सं. 148 में लूंबा, मगा लाऔलाद फौत होने से सगे भाई उकीया के नाम, हकुखां, गजेखां लाऔलाद फौत उसके सगे भाई केवला के नाम केसीया फौत उसके जायन्दा बेटे पुनमा के नाम नामांतरकरण यथावत रखा जाता है तथा जेसीया लाऔलाद फौत होने से उसके सगे भाई हरीया के नाम नामांतरकरण अस्वीकृत किया जाता है। अतः तहसीलदार जसवंतपुरा को आदेशित किया जाता है कि जेसीया के प्रथम श्रेणी के उसके वारिसान जेसीया की सगी पुत्रीयां शान्तादेवी पुत्री जेसीया व हिरादेवी पुत्री जेसीया के नाम नामांतरकरण भरा जावें व शेष यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.10.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी जसवंतपुरा
सत्यमेव जयते
जालोर (राज.)

(श्रीमती पुष्पा कंवर सिसोदिया)
उपखण्ड अधिकारी जसवंतपुरा
उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा
जिला-जालोर (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pushpa Kanwar Sisodiya
Date: 2019.11.30 11:15:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: